''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006—कार्तिक 12, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोददार, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 29 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2006" के नाम से जाना जावेगा.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005.

अनुसूची में संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जावेगी, यथा :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नालाजी (आई सेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजेकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी.	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे ग्राम पंचायत गुल्लु, ग्राम गुल्लु तहसील आरंग जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों को प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 29 of 2006)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— **Definition.**

"Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

3. In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— **Amendment of Schedule.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dr. C. V. Raman University	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 208 dated 14-8-2002.	Kargi Road, (Kota) District : Bilaspur	Chhattisgarh State	Under Graduation, Post Graduation and Diploma Courses in the faculties of Technology (Engineering, Rural, Information) Science, Commerce, Education and matters related [illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu. Village : Gullu, Tehsil : Arang, District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation, Post Graduation and Research Courses in the faculties of Management, Business, Commerce, Engineering, Information Technology, Life Sciences, Pharmacy, Arts & Humanities, Law, Education and Science and matters related to.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.